प्रकरण संख्या 114/2024 लोगर व अन्य बनाम खुमाणसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2020 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 06.10.2021 को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की गयी, जिस पर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 24.07.2023 को आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादीगण ने प्रतिवादीगण की जाली तामील करवाकर अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली है, जो न्याय संगत नहीं है। प्रतिवादीगण की फर्जी तामील करवायी गयी है तथा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री जारी की गयी है। अतः प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना मानते हुए दिनांक 04.07.2024 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील दिनांक 08.10.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। अभी हाल ही में प्रकरण के बारे में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested

जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तामील मांगीलाल एवं भैरूलाल पर दर्शा रखी है, जबकि तामील कुनिन्दा के द्वारा उक्त तामील कभी भी उक्त लोगों के उपर नहीं करवायी गयी था तथा उक्त तामीलों पर हस्ताक्षर फर्जी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी, जबकि उक्त डिक्री जारी करने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 7 व 12 देवा व चुन्नीबाई की मृत्यु हो चुकी थी। अपीलान्टगण द्वारा प्रकरण को दोतरफा करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेरिट पर निर्णित करने के बजाय मियाद के आधार पर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। पत्रावली पर संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 देवा की मृत्यु दिनांक 12.05.2005 एवं प्रतिवादी संख्या 12 चुन्नीबाई की मृत्यु दिनांक 19.02.2008 को अर्थात दावा दायर करने के पूर्व ही हो चुकी थी, फिर भी वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने उन्हें पक्षकार बनाकर मृत व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री प्राप्त कर ली, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जहां तक आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर पारित अपीलाधीन निर्णय का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना गुणावगुण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested

पर विवेचन किये मियाद के आधार पर खारिज कर दिया है, जिससे स्पष्ट है की अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 4/23 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.07.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested